सत्यमेव जयते

# न्यायालय
# सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
## गुढामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024/95 दर्ज तिथिः–12.02.2024

1. खरथाराम पुत्र खींयाराम फौत के कायम मुकाम
   1/1 गुलाराम पुत्र खरथाराम
   1/2 मुकनाराम पुत्र खरथाराम
   1/3 भोमाराम पुत्र खरथाराम
   1/4 बाबुराम पुत्र खरथाराम
   1/5 जसाराम पुत्र खरथाराम
   1/6 चिमनाराम पुत्र खरथाराम
   1/7 हतु देवी पुत्री खरथाराम
   1/8 तगी देवी पुत्री खरथाराम
   1/9 लेहरो देवी पुत्री खरथाराम
   1/10 सिगरती पत्नी खरथाराम
2. चोलाराम पुत्र खींयाराम
3. विशनाराम पुत्र खींयाराम फौत के कायम मुकाम
   3/1 नेनु पत्नी विशनाराम
   3/2 जसाराम पुत्र विशनाराम
   3/3 नारायणराम पुत्र विशनाराम
   जाति जाट निवासी आसुओं की ढाणी तहसील नोखडा

............................प्रार्थी

बनाम

1. डालूराम पुत्र मलाराम फौत के कायम मुकाम
   1/1 नेनाराम पुत्र डालूराम
   1/2 रामाराम पुत्र डालूराम
   1/3 उम्मेदाराम पुत्र डालूराम
   1/4 देदाराम पुत्र डालूराम
   1/5 बाबूराम पुत्र डालूराम
   1/6 चैनी पत्नी डालूराम
   जाति जाट निवासी खारडी बेरी आडेल तहसील नोखडा
2. कुम्भाराम पुत्र मलाराम
3. हडुमान राम पुत्र मलाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 10:30:33 IST
Reason: SelfAttested

जाति जाट निवासी खारडी बेरी आडेल तहसील नोखडा

..........................अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री नारायण कुमावत
अप्रार्थीः– डालूराम चौधरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–02.09.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण के पिता खींयाराम तथा अप्रार्थीगण के नाना भूराराम आपस में भाई थे। भूराराम का देहांत भू–बंदोबस्त से पूर्व हो चुका था। उसके परिवार में उसके बेवा वाली तथा पुत्री तीजा थी। तीजा पुत्री भूराराम की शादी मलाराम के साथ हुई। भूराराम स्थाई रूप से आडेल में रहता था तथा उसकी खातेदारी आराजी आडेल में ही थी। भूराराम का खुडाला में आना जाना था एवं भूराराम ने अपनी पुत्री तीजा की शादी खुडाला से ही की थी। भू–बंदोबस्त के समय भूराराम की पत्नी वाली अपने देवर अर्थात खींयाराम के साथ ग्राम खुडाला में ही रह रहीं थी। वाली पत्नी भूराराम ने ग्राम आडेल की आराजी अपनी पुत्री तीजा के नाम भू–बंदोबस्त के दौरान दर्ज करवा दी थी। साथ ही भू–बंदोबस्त की गलती से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त के आराजी हाल खसरा संख्या 1/27.9024 है0 वाके ग्राम आसुओं की ढाणी तहसील गुड़ामालानी भी वाली पत्नी भूरा के नाम दर्ज कर दी। वाली पत्नी भूराराम की फौत के पश्चात नामांतकरण प्रार्थीगण के पिता खींयाराम के पक्ष में दर्ज किया गया।

2. उक्त नामांतकरण की अपील 92/2002 माननीय न्यायालय उपखंड अधिकारी गुडामालानी से निर्णित हो गई। उक्त अपील के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील वर्तमान विचाराधीन है। परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–135 (2) के अंतर्गत तहसीलदार नोखडा के समक्ष एक कार्यवाही आरंभ करवाई। वर्तमान में उक्त आराजी के संबंध में प्रार्थी द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। परन्तु अप्रार्थी उक्त आराजी का नामांतकरण अपने नाम दर्ज करवाकर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन करवाना चाहते है। इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अंत में उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण को राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

3. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण असालतन वकालतन हाजिर न्यायालय हुए तथा प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता का नाम खींयाराम तथा विप्रार्थीगण के पिता का नाम भूराराम पुत्र कोशलाराम था। भूराराम पुत्र कोशलाराम का निवास

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 10:30:33 IST
Reason: SelfAttested

खुडाला तथा आडेल दोनो जगह होने के कारण दोनों जगह ही कृषि भूमि अवस्थित थी। प्रार्थीगण के पिता खींयाराम तथा विप्रार्थीगण के पिता भूराराम पुत्र कोशलाराम का आपस में कोई ताल्लुकात नहीं थे। प्रार्थीगण के पिता खींयाराम तथा तीजो के पति मलाराम के आपस में विवाद रहने के कारण वाली पत्नी भूराराम ने अपनी जमीन तीजो पत्नी मलाराम के नाम वक्त बंदोबस्त ही करवा दी। वाके ग्राम खुडाला में अवस्थित आराजी पर वाली पत्नी भूराराम की फौतगी का नामांतकरण संख्या 09 वाके ग्राम खुडाला प्रार्थीगण द्वारा अपने नाम दर्ज करवा लिया। इसके पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नामांतकरण की अपील की गई। जिसमें अपील संख्या 92/2002 मंजूर की गई। उक्त अपील के आदेश के विरूद्ध माननीय संभागीय आयुक्त न्यायालय में अपील की गई। यहां भी उक्त अपील पर उपखंड अधिकारी गुडामालानी का निर्णय यथावत रखा गया। उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थीगण उक्त अपील में दिये गये आदेश की पालना को गलत तरीके से रोकने की मंशा रखते है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया।

4. प्रकरण में उभयपक्षकारान की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिप्रार्थी/प्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि उक्त आराजी के संबंध में प्रार्थी द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। परन्तु अप्रार्थी उक्त आराजी का नामांतकरण अपने नाम दर्ज करवाकर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन करवाना चाहते है। इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण को राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अप्रार्थी ने दौराने जिरह जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थीगण अपील में दिये गये आदेश की पालना को गलत तरीके से रोकने की मंशा रखते है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया।

6. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—212 के प्रावधान पर विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। इस हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—212 के प्रावधान इस प्रकार है—

> ***212. Provision for injunction and appointment of a receiver—***
> *(1) If in the course of any suit or proceeding under this Act, it is proved by affidavit or otherwise —*
> *(a) that any property to which such suit or proceeding relates is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party thereto, or*
> *(b) that any party to such suit or proceeding threatens or intends to remove or dispose of the said property in order to defeat the ends of Justice, the court may grant a temporary injunction and, if necessary, appoint a receiver.*
>
> *(2) Any person against whom an injunction has been granted or in respect of whose property a receiver has been appointed under*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 10:30:33 IST
Reason: SelfAttested

*subsection (1) may offer cash security in such amount as the court may determine to compensate the opposite party in case the suit or proceedings is decided against such persons, and on depositing the amount of such security, the court may withdraw the injunction or the order appointing a receiver, as the case may be.*

7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–212 के साथ साथ सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व 02 में अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में प्रावधान बनाये गये है। जिनका उद्धरण इस प्रकार हैः–

**ORDER XXXIX**

**TEMPORARY INJUNCTIONS AND INTERLOCUTORY ORDERS**

*Temporary injunctions*

***1. Cases in which temporary injunction may be granted.—****Where in any suit it is proved by affidavit or otherwise—*
*(a) that any property in dispute in a suit is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party to the suit, or wrongfully sold in execution of a decree, or*
*(b) that the defendant threatens, or intends, to remove or dispose of his property with a view to [defrauding] his creditors,*
*(c) that the defendant threatens to dispossess, the plaintiff or otherwise cause injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit,]*

*the Court may by order grant a temporary injunction to restrain such act, or make such other order for the purpose of staying and preventing the wasting, damaging, alienation, sale, removal or disposition of the property [or dispossession of the plaintiff, or otherwise causing injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit] as the Court thinks fit, until the disposal of the suit or until further orders.*

***2. Injunction to restrain repetition or continuance of breach.—(****1) In any suit for restraining the defendant from committing a breach of contract or other injury of any kind, whether compensation is claimed in the suit or not, the plaintiff may, at any time after the commencement of the suit, and either before or after judgment, apply to the Court for a temporary injunction to restrain the defendant from committing the breach of contract or injury complained, of, or any breach of contract or injury of a like kind arising out of the same contract or relating to the same property or right.*

*(2) The Court may by order grant such injunction, on such terms as to the duration of the injunction, keeping an account, giving security, or otherwise, as the Court thinks fit.*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 10:30:33 IST
Reason: SelfAttested

8. साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–212 के साथ साथ सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–04 में अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में प्रावधान बनाये गये है। जिनका उद्धरण इस प्रकार हैः–

> ***4. Order for injunction may be discharged, varied or set aside.—****Any order for an injunction may be discharged, or varied, or set aside by the Court, on application made thereto by any party dissatisfied with such order:*
>
> *Provided that if in an application for temporary injunction or in any affidavit supporting such application, a party has knowingly made a false or misleading statement in relation to a material particular and the injunction was granted without giving notice to the opposite party, the Court shall vacate the injunction unless, for reasons to be recorded, it considers that it is not necessary so to do in the interests of justice:*
>
> *Provided further that where an order for injunction has been passed after giving to a party an opportunity of being heard, the order shall not be discharged, varied or set aside on the application of that party except where such discharge, variation or setting aside has been necessitated by a change in the circumstances, or unless the Court is satisfied that the order has caused undue hardship to that party.*

9. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–212 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु निम्न महत्वपूर्ण बिन्दु हैं। उक्त तीनों बिन्दुओं/सिद्धांतों पर प्रकरण का विश्लेषण निम्न प्रकार हैः–

| | | |
|---|---|---|
| *स्वामित्व एवं कब्जा* | प्रार्थी | प्रार्थीगण का अभिकथन है कि उक्त आराजी प्रार्थीगण के पिता खींयाराम की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के लागू होने के समय से ही कब्जे काश्त की आराजी रही है। इस कारण उक्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है। परन्तु भू–बंदोबस्त के कर्मचारियों ने गलती से उक्त आराजी का इन्द्राज वाली पत्नी भूराराम के नाम दर्ज कर दिया। राजस्व कार्मिकों ने वाली पत्नी भूराराम की फौतगी का नामांतकरण संख्या 09 वाके ग्राम खुडाला प्रार्थीगण द्वारा अपने नाम दर्ज सही रूप से फैसल किया। परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नामांतकरण की अपील की गई। जिसमें अपील संख्या 92/2002 मंजूर की गई। वर्तमान में उक्त अपील के आदेश के विरूद्ध माननीय संभागीय आयुक्त न्यायालय में अपील विचाराधीन है। परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–135 (2) के अंतर्गत तहसीलदार नोखडा के समक्ष एक कार्यवाही आरंभ करवाई। वर्तमान में उक्त आराजी के संबंध में प्रार्थी द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है।परन्तु अप्रार्थी उक्त आराजी का नामांतकरण |

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 10:30:33 IST
Reason: SelfAttested

| | | |
|---|---|---|
| | | अपने नाम दर्ज करवाकर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन करवाना चाहते है। इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अंत में उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण को राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। |
| | | प्रार्थीगण के पिता खींयाराम तथा तीजो के पति मलाराम के आपस में विवाद रहने के कारण वाली पत्नी भूराराम ने अपनी जमीन तीजो पत्नी मलाराम के नाम वक्त बंदोबस्त ही करवा दी। वाके ग्राम खुडाला में अवस्थित आराजी पर वाली पत्नी भूराराम की फौतगी का नामांतकरण संख्या 09 वाके ग्राम खुडाला प्रार्थीगण द्वारा अपने नाम दर्ज करवा लिया। इसके पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नामांतकरण की अपील की गई। जिसमें अपील संख्या 92/2002 मंजूर की गई। उक्त अपील के आदेश के विरूद्ध माननीय संभागीय आयुक्त न्यायालय में अपील की गई। माननीय संभागीय आयुक्त न्यायालय द्वारा भी उक्त अपील पर उपखंड अधिकारी गुडामालानी का निर्णय यथावत रखा गया। उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थीगण उक्त अपील में दिये गये आदेश की पालना को गलत तरीके से रोकने की मंशा रखते है। |
| | निष्कर्ष | वर्तमान में उक्त आराजी को लेकर प्रार्थी का घोषणा का वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील के निर्णय की पालना भी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से स्थगित है। प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा उक्त अपील के निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की हुई है। परन्तु प्रार्थी के अभिकथन अनुसार अपील न्यायालय से कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं है। प्रार्थी का घोषणा का दावा भी वर्ष 2014 से विचाराधीन है। वर्तमान में अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील के निर्णय की पालना हस्तगत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से स्थगित है। वर्तमान में अप्रार्थी के पक्ष में अपील का निर्णय यथावत होने के कारण प्रथमदृष्टया प्रकरण में उक्त आराजी पर प्रार्थीगण का स्वामित्व साबित नहीं होता है। इसी के साथ उक्त आराजी पर कब्जे के सिद्धांत के अनुसार प्रार्थी का प्रकरण स्पष्ट नहीं है। |
| *सुविधा का संतुलन* | | मुतनाजा आराजी पर वर्तमान में अप्रार्थी के पक्ष में अपील का निर्णय यथावत होने के कारण प्रथमदृष्टया प्रकरण में उक्त आराजी पर प्रार्थीगण का स्वामित्व साबित नहीं होने के कारण कब्जे के बारे में संशय होने के आधार पर प्रथमदृष्टया सुविधा व न्याय का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना स्पष्ट नहीं है। |
| *अपूरणीय क्षति* | प्रार्थी | प्रार्थीगण का अभिकथन है कि अपील संख्या 92/2002 के आदेश के विरूद्ध माननीय संभागीय आयुक्त न्यायालय में अपील विचाराधीन है। साथ ही वर्तमान में उक्त आराजी के संबंध में प्रार्थी द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। परन्तु अप्रार्थी उक्त आराजी का नामांतकरण अपने नाम दर्ज |

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 10:30:33 IST
Reason: SelfAttested

| | | |
|---|---|---|
| | | करवाकर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन करवाना चाहते है। इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। |
| | अप्रार्थी | प्रकरण में माननीय संभागीय आयुक्त न्यायालय द्वारा उक्त अपील पर उपखंड अधिकारी गुडामालानी का निर्णय यथावत रखा गया। उक्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थीगण उक्त अपील में दिये गये आदेश की पालना को गलत तरीके से रोकने की मंशा रखते है। वर्तमान में अप्रार्थीगण के पक्ष में उक्त अपील के निर्णय की पालना नहीं होने से अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव पडने से अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। |
| | निष्कर्ष | मुतनाजा आराजी पर वर्तमान में अप्रार्थी के पक्ष में अपील का निर्णय यथावत होने तथा अपील न्यायालय से कोई स्थगन प्राप्त नहीं होने तथा प्रार्थी का घोषणा का वाद लगभग दस वर्ष से वादी के पर लम्बित के कारण प्रथमदृष्टया प्रकरण में उक्त आराजी पर प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होना स्पष्ट नहीं है। |

7. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि वर्तमान में अप्रार्थी के पक्ष में अपील का निर्णय यथावत होने के कारण प्रथमदृष्टया प्रकरण में उक्त आराजी पर प्रार्थीगण का स्वामित्व साबित नहीं होता है। इसी के साथ उक्त आराजी पर कब्जे के सिद्धांत के अनुसार प्रार्थी का प्रकरण स्पष्ट नहीं है। मुतनाजा आराजी पर वर्तमान में अप्रार्थी के पक्ष में अपील का निर्णय यथावत होने के कारण प्रथमदृष्टया प्रकरण में उक्त आराजी पर प्रार्थीगण का स्वामित्व साबित नहीं होने के कारण कब्जे के बारे में संशय होने के आधार पर प्रथमदृष्टया सुविधा व न्याय का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना स्पष्ट नहीं है। साथ ही मुतनाजा आराजी पर वर्तमान में अप्रार्थी के पक्ष में अपील का निर्णय यथावत होने तथा अपील न्यायालय से कोई स्थगन प्राप्त नहीं होने तथा प्रार्थी का घोषणा का वाद लगभग दस वर्ष से वादी के पर लम्बित के कारण प्रथमदृष्टया प्रकरण में उक्त आराजी पर प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होना स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार प्रथमदृष्टया प्रार्थी उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी प्रतीत नहीं होते है। अतः

आदेश है कि

**प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा पत्रावली पर जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है।**

आज 02.09.2024 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 10:30:33 IST
Reason: SelfAttested